

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
कार्यालय आदेश

पटना दिनांक - 16-07-2010

नौलाना मजहूरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना के पत्रांक एफ - 323/10/आर0ई0 - 98/10 दिनांक 05.05.2010 के आलोक में विश्वविद्यालय क क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चल रहे मदरसों / संस्थानों / संस्थाओं / ज्ञान संसाधन केन्द्रों में नामांकन हेतु अधिकतम छात्र संख्या निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

1. व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम	60 सीट प्रति विषय प्रति केन्द्र।
2. व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	60 सीट प्रति विषय प्रति केन्द्र।
3. व्यावसायिक सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम	60 सीट प्रति विषय प्रति केन्द्र।
4. आलिम पाठ्यक्रम	60 सीट प्रति विषय प्रति मदरसा
5. फाजिल पाठ्यक्रम	40 सीट प्रति विषय प्रति मदरसा

(के० के० पाठक)

सचिव

ज्ञापक - 15/22ग1-129/2010-2264 पटना दिनांक - 16-07-2010

प्रतिलिपि: कुलसचिव, नौलाना मजहूरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(के० के० पाठक)

सचिव